प्रेस नोट
दिनांक – 13.11.2025
जनपद – गोण्डा

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा पुलिस लाइन परिसर में राजपत्रित अधिकारीगण हेतु आवास निर्माण परियोजना का भूमि पूजन कर किया गया शुभारंभ –

आज दिनांक 13.11.2025 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा पुलिस लाइन गोण्डा परिसर में अपर पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्राधिकारीगण हेतु आवास निर्माण परियोजना का भूमि पूजन कर शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक महोदय ने बताया कि यह परियोजना उत्तर प्रदेश शासन की एक महत्वपूर्ण योजना के अंतर्गत स्वीकृत की गई है परियोजना के तहत चतुर्थ श्रेणी के कुल 04 राजकीय आवासो का निर्माण किया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत ₹ 02 करोड़ 59 लाख 46 हजार रुपये निर्धारित की गई है। पुलिस अधीक्षक महोदय ने कहा कि इस आवास निर्माण परियोजना के पूर्ण हो जाने से अपर पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्राधिकारीगण को पुलिस लाइन के निकट उच्च गुणवत्ता वाले आवासीय सुविधाएँ प्राप्त होंगी। इससे अधिकारियों को अपने दैनिक कार्यों, आकस्मिक घटनाओं एवं आपात स्थितियों में त्वरित रूप से पुलिस लाइन, कार्यालय एवं क्षेत्र में पहुँचने में सुविधा होगी, जिससे पुलिस कार्य व्यवस्था, निर्णय-प्रक्रिया एवं समन्वय में उल्लेखनीय सुधार आएगा। उन्होंने कहा कि आवासीय सुविधा का सीधा संबंध कार्य दक्षता, मनोबल एवं जनसेवा की गुणवत्ता से है। अधिकारियों के पुलिस लाइन के समीप रहने से संचालन, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में सहजता आएगी और जनसुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जा सकेगा। पुलिस अधीक्षक महोदय ने निर्माण कार्य में गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं समयबद्धता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माण स्थल का निरीक्षण कर टावरों की रूपरेखा, डिजाइन एवं आवासीय प्रावधानों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की तथा अधिकारियों को कार्य प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत, क्षेत्राधिकारी लाइन सुश्री शिल्पा वर्मा, प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 13.11.2025

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अश्लील वीडियो भेजकर जबरन वसूली करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार—

कार्यवाहीः—

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0—906/2025, धारा 308(5),351(3) बीएनएस व 67ए आई0टी0 एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त आमिर खान पुत्र राशिद खान नि0 मोहल्ला महराजगंज थाना को0 नगर जनपद गोण्डा को मनकापुर बस अड्डे के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद मोबाइल फोन बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 12.11.2025 को थाना को0 नगर क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की द्वारा थाना को0 नगर में लिखित तहरीर दी गयी कि उसके मोहल्ले के आमिर खान पुत्र राशिद खान द्वारा उसके स्कूल आने जाने में लगातार पीछा किया गया तथा नहाने की अश्लील फोटो व वीडियो बनाकर व्हाट्सएप के माध्यम से वायरल किया गया तथा ₹50,000/— न देने पर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी गई है। प्रार्थिनी के अनुसार विपक्षी द्वारा कई मोबाइल नम्बरों से कॉल कर ब्लैकमेल व जान से मारने की धमकी दी जा रही है। प्रार्थिनी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 13.11.2025 को थाना को0 नगर पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त आमिर खान पुत्र राशिद खान नि0 मोहल्ला महराजगंज थाना को0 नगर जनपद गोण्डा को मनकापुर बस अड्डे के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद मोबाइल फोन बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. आमिर खान पुत्र राशिद खान नि0 मोहल्ला महराजगंज थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0—906/2025, धारा 308(5),351(3) बीएनएस व 67ए आई0टी0 एक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. अ0प्र0नि0 सभाजीत सिंह।
02. का0 अभय कुमार यादव।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 13.11.2025</u>

<u>जनपद गोण्डा पुलिस द्वारा स्कूल वाहन चालकों एवं विद्यार्थियों को यातायात नियमों के प्रति किया गया जागरूक, 63 वाहनों की जांच, 12 का चालान एवं 01 वाहन सीज–</u>

यातायात माह नवम्बर–2025 के अवसर पर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी यातायात श्री राजेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 13.11.2025 को जनपद के विभिन्न विद्यालयों में यातायात जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत यातायात उपनिरीक्षक श्री राकेश कुमार सिंह मय टीम द्वारा गीता इंटरनेशनल स्कूल, जय पुरिया स्कूल, जय हिन्द स्कूल, सेंट जेवियर्स स्कूल, एआईएमएस इंटरनेशनल स्कूल तथा फुलवरिया स्कूल के कुल 63 वाहन चालकों को यातायात नियमों के संबंध में जागरूक किया गया। इस दौरान चालकों को हेलमेट/सीट बेल्ट का प्रयोग, निर्धारित गति सीमा का पालन, वाहन के दस्तावेजों की वैधता, ओवरलोडिंग न करने, तथा विद्यार्थियों की सुरक्षा हेतु सभी आवश्यक नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु समझाया गया। वाहनों की जांच के दौरान मानक अनुरूप न पाए जाने पर 12 वाहनों का चालान किया गया एवं 01 वाहन को सीज किया गया। चालकों को भविष्य में नियमों का पूर्णतः पालन करने की हिदायत दी गई। इसके अतिरिक्त क्षेत्राधिकारी यातायात श्री राजेश कुमार सिंह एवं टीएसआई राकेश कुमार सिंह द्वारा रोड गुड इंटर कॉलेज में विद्यार्थियों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। इस अवसर पर लगभग 200 छात्र–छात्राओं को सड़क सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई तथा उन्हें सड़क पार करने के सही तरीके, ट्रैफिक सिग्नलों का महत्व, हेलमेट/सीट बेल्ट पहनने की आवश्यकता एवं लापरवाही से वाहन चलाने के दुष्परिणामों के बारे में विस्तार से बताया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को पंपलेट भी वितरित किए गए और उनसे यह अपेक्षा की गई कि वे स्वयं यातायात नियमों का पालन करेंगे तथा अपने परिजनों एवं समाज के अन्य लोगों को भी सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करेंगे।

<u>महत्वपूर्ण संदेश–</u>

01. वाहन चलाते समय मोबाइल फोन अथवा इयरफोन का प्रयोग न करें।
02. नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन चलाना पूर्णतः वर्जित है।
03. दोपहिया वाहन चालक एवं पीछे बैठी सवारी दोनों को हेलमेट पहनना अनिवार्य है।
04. चारपहिया वाहनों में सीट बेल्ट का प्रयोग अनिवार्य है।
05. निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियाँ बैठाना व निर्धारित गति सीमा से अधिक वाहन चलाना दण्डनीय अपराध है।
06. दायें–बायें मुड़ते समय इंडिकेटर का प्रयोग करें।
06. दोपहिया वाहन पर दो से अधिक सवारी न बैठाएं।
07. वाहन निर्धारित स्थान पर ही पार्क करें।
08. वाहनों के आगे एवं पीछे रिफ्लेक्टर टेप लगाना आवश्यक है।
09. एम्बुलेंस एवं फायर ब्रिगेड वाहनों को जाने हेतु पहले रास्ता प्रदान करें।
10. नशे अथवा मादक पदार्थों का सेवन कर वाहन न चलाएं।
11. सड़क पर वाहन चलाते समय स्टंट न करें।
12. सड़क दुर्घटना की स्थिति में घायल व्यक्तियों की मदद करें एवं 112 डायल कर सूचना दें।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>